



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.02.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में पंजीकृत चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास व कुल 11,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-603/18 धारा 379,411,413,414,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू मौर्य पुत्र सोमारु मौर्य निवासी 17/260 सारंगतालाब थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 21.02.2025 को माननीय न्यायालय स्पे0 जज, भ्र0नि0अधि0 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त गोलू मौर्य उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0 में 01 वर्ष कठोर कारावास व 1000/- रु0 अर्थदण्ड से, धारा 411 भा0द0वि0 में 01 वर्ष कठोर कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 413 भा0द0वि0 में 01 वर्ष 05 माह के कठोर कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 414 भा0द0वि0 में 01 वर्ष कठोर कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 419 भा0द0वि0 में 01 वर्ष कठोर कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 420 भा0द0वि0 में 01 वर्ष 05 माह कठोर कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 467 भा0द0वि0 में 01 वर्ष 05 माह कठोर कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 471 भा0द0वि0 में 01 वर्ष कठोर कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।